

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 105

प्रभात

बीकानेर, शनिवार, 8 नवम्बर, 2025

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

‘उन्नीस सौ सैंतीस में राष्ट्रीय गान के चार छंद हटवाकर पं. नेहरू ने देश के विभाजन का बीज बोया था’

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गान वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगाँठ पर आयोजित समारोह में सार्वजनिक मंच से पं. नेहरू पर यह आरोप लगाया

–श्रीनंद झा–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले, जिसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल जिले शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “वंदे मातरम्” विवाद को दोबारा छेड़ दिया है। उन्होंने 1937 में इस गीत से कुछ महत्वपूर्ण स्टैन्ज़ा हटाने के लिये, कांग्रेस, और विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, की कड़ी आलोचना की है।

योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह जैसे कुछ नेताओं की इक्का-टुक्का टिप्पणियों को छोड़ दें, तो इस बार के बिहार चुनाव में भाजपा ने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाया है। चुनाव में बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी जैसे मुद्दे छाप रहे हैं। लेकिन मोदी ने वंदे मातरम् के मुद्दे को उठाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की है।

राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के वर्षभर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस

- मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय गान के छंदों को पढ़कर सुनाया और कहा, कांग्रेस ने केवल प्रथम दो छंदों को स्वीकार करके राष्ट्रीय गान का स्वरूप दिया और चार छंद इतिहास में दफन हो गए।

- इस संदर्भ में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने 1937 का वह पत्र भी पेश किया जो नेहरू ने सुभाष चन्द्र बोस को लिखा था।

- उस पत्र में नेहरू जी ने लिखा था कि बाकी छंदों से मुसलमानों को आपत्ति हो सकती है।

- जैसा कि विदित ही है, चार छंदों में देश को दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती का स्वरूप बताया गया है।

- केशवन के अनुसार, नेहरू जी के विचार एक ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि इससे देशभक्ति पूर्ण गान का राष्ट्रीय प्रतीक कमज़ोर हुआ।

- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक के बिहार के चुनाव प्रचार में भाजपा ने हिन्दुत्व को केवल पृष्ठभूमि में ही रखा था। पर, दूसरे चरण में सीमांचल जिलों में मतदान होगा, जो मुस्लिम प्रभाव की सीटें हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीमांचल क्षेत्र में मतदान से पूर्व वंदे मातरम् को विवाद के रूप में प्रस्तुत करके भाजपा अपना हिंदू वोट बैंक पक्का कर रही है।

ने गीत के अहम पदों को हटाकर विभाजन के बीज बोए थे। इस अवसर पर, उन्होंने पूरे गीत का पाठ भी किया।

छह पदों के इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इसके

केवल पहले दो पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजकॉम्प में करोड़ों के फर्जीवाड़े पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 7 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलाॅजी एवं ईपीडीएस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में कार्मिक सचिव, आईटी सचिव और एसीबी डीजी से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश

- अदालत ने कार्मिक सचिव, आईटी सचिव तथा एसीबी डीजी से जवाब तलब किया है।

पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलाॅजी एंड ईपीडीएस प्रोजेक्ट में दो लोगों को साल 2020 तक करीब तीन लाख रुपए प्रतिमाह के आधार पर नियुक्त किया गया। जिसे बार-बार कांट छांट कर 2022 तक बढ़ा ाया गया। इसी तरह ईपीडीएस प्रोजेक्ट में पोस मशीन की (आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2025 में ग्लोबल जीडीपी वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले, भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष

पूर्व विधायक मलिगा के खिलाफ सुनवाई जयपुर में ही होगी

जयपुर, 7 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरांज सिंह मलिंगा के खिलाफ धौलपुर की अदालत में चल रही सुनवाई को जयपुर की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपील को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिरांज सिंह मलिंगा की अपील

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के केस जयपुर ट्रांसफर करने के निर्णय को बरकरार रखा।

को खारिज करते हुए दिए। अपील में राजस्थान हाईकोर्ट के गत जुलाई माह के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केस को गलत तरीके से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के परिजन वकील हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में वे सुनवाई में व्यवधान डालते हैं। इसलिए मामले को वापस धौलपुर या भरतपुर कोर्ट में शिफ्ट किया जाए। पीछित हर्थाधिपति की ओर से कहा गया (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधिकतर देश के इकॉनमिस्ट एसबीआई के अध्यक्ष शेड्डी के आंकलन से सहमत हैं

शेड्डी का मानना है कि आंकड़ों की दृष्टि से भारत की जीडीपी आदि का मापदंड कुछ ज्यादा ही आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं

–सुकुमार साह–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 6 नवंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद बोलते हुए चेयरमैन सी.एस. शेड्डी ने भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर सतर्क आशावाद जताया। उन्होंने एक ऐसे देश की तस्वीर पेश की, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी लचीला और मजबूत बना हुआ है। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक जटिल सच्चाई भी छिपी है, जो यह संकेत देती है कि भारत की वृद्धि भले ही मजबूत दिख रही हो, पर वह अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2025 में ग्लोबल जीडीपी वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले, भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष

- इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत की इकॉनमी की हालत ठीक तो है, पर, सिस्टम में काफी आंतरिक कमज़ोरियाँ भी हैं, जिनसे सावधान रहना ज़रूरी है।

2025-26 में 6.8 प्रतिशत और 2026-27 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। शेड्डी ने इसका श्रेय मजबूत निवेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और बढ़ती खपत को दिया। आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि इनके पीछे कई गहरी कमजोरियाँ छिपी हैं, जैसे कि ऋण और जमा राशि की वृद्धि में बढ़ता अंतर, लगातार बनी हुई महंगाई और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान सुधार।

शेड्डी ने बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण वृद्धि 11.5

प्रतिशत है, जबकि जमा वृद्धि केवल 9.5 प्रतिशत पर अटक की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वित्त वर्ष में दोनों 11 से 12 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो जाएंगे। हालांकि, यह आशावाद अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री आगाह करते हैं कि जमा वृद्धि में धीमी वृद्धि परिवारों की कमजोर वित्तीय स्थिति और घटती बचत को दिखाती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोगों की वास्तविक आय घट रही है। अगर यह स्थिति जारी रही, तो बैंकों के लिए कर्ज देने की क्षमता सीमित हो जाएगी, जिससे उन्हें थोक उधारी या ऊंची ब्याज दरों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो उनके मुनाफे पर दबाव डालेगा।

नेमुरा की मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के अनुसार, “लोग अब अपनी बचत का इस्तेमाल रोजमर्रा की खपत के लिए करने लगे हैं। यह दीर्घकालिक वृद्धि का टिकाऊ आधार नहीं है।”

इसके अलावा, घरेलू मांग भले ही कागजों पर मजबूत दिख रही हो, पर उसका बड़ा हिस्सा अमीर तबके की खपत से आ रहा है। शहरी इलाकों में गाड़ियों, मकानों और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण खपत, जो असली आर्थिक सुधार का पैमाना मानी जाती है, अब भी कमजोर है। अनियमित मानसून, ठहरा हुआ ग्रामीण मजदूरी और कृषि आय में कमी ने ग्रामीण मांग को दबा दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की बात शायद अभी जल्दबाजी होगी। हम कुछ क्षेत्रों में सुधार (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरएएस का बंद लिफाफा खोल परिणाम जारी करें

जयपुर, 7 नवंबर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह आरएएस हायर सुपर टाइम स्केल में साल 2021-2022 की रिक्ति के विरुद्ध राज्यस् मंडल के पूर्व सदस्य

- अपीलीय अधिकरण ने कहा कि ऐसा प्रमोशन एसीबी कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा।

भंवरलाल मेहरडा की पदोन्नति के परिणाम का बंद लिफाफा खोलकर परिणाम जारी करें। यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे उस तिथि से पदोन्नत किया जाए, जिस तिथि से उसके जूनियर अफसरों की प्रमोशन मिला है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति एसीबी कोर्ट में लंबित प्रकरण के फैसले के अधीन रहेगी। अधिकरण ने यह आदेश भंवरलाल मेहरडा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

शराबी डम्पर चालक की पैरवी से वकीलों का इन्कार

जयपुर, 7 नवंबर। हरमाझा थाना इलाके में शराब के नशे में धुत होकर 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक कल्याण मीणा के चौमूं के अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहाँ

- शराब के नशे में धुत डम्पर चालक ने 14 लोगों को कुचल दिया था।

से न्यायालय ने उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस भीषण हादसे को देखते हुए वकीलों ने डंपर चालक कल्याण मीणा की पैरवी करने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने आरोपी कल्याण मीणा को पेश करने के साथ ही पुलिस को इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत अनुसंधान करने के आदेश दिए। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

–सुकुमार साह– –राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो– नई दिल्ली, 7 नवम्बर। जब इस हफ्ते फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो से पूछा गया कि क्या डॉनल्ड ट्रम्प को नया फीफा शांति पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, 5 दिसंबर को आप देख लेंगे। इस एक वाक्य ने वाशिंगटन डी.सी. में होने वाले विश्व कप ड्रा से पहले तरह-तरह के कयासों का तूफान खड़ा कर दिया है, जहाँ यह पहला पुरस्कार दिया जाएगा।

इसके बाद जो सवाल उठता है, वह यह है कि नोबल शांति पुरस्कार की तुलना में फीफा शांति पुरस्कार की अहमियत क्या होगी।

1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने स्थापित किया था, लंबे समय से दुनिया के नैतिक दिशासूचक के रूप में जाना जाता है। नॉर्वेजियन संसद के अधीन एक स्वतंत्र समिति द्वारा संचालित इस पुरस्कार ने नेल्सन मंडेला और मलाला यूसुफज़ाई से लेकर संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम तक, कई बार, इतिहास को आकार दिया है। भले ही यह कभी-कभी विवाददास्पद रहा हो, जैसे बराक ओबामा को 2009 में या 1994 में यासिर अराफात और राबिन को दिये गये पुरस्कार, लेकिन नोबेल पुरस्कार की साख इसकी स्वतंत्रता और नैतिक उद्देश्य से उपजी है।

इसके विपरीत, फीफा का नया शांति पुरस्कार एक ऐसे खेल संगठन की

- अतः इन्फैंटिनो द्वारा पाँच दिसम्बर को वॉशिंगटन में निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- इन्फैंटिनो इस मौके को ट्रंप को उपकारित करने का अच्छा अवसर मानते हैं। फीफा पीस प्राइस दे कर।
- ट्रंप को भी इस “सम्मान” से राजनीतिक लाभ मिलने की अपेक्षा है, क्योंकि वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में ट्रंप को इस सम्मान से नवाजा जा सकता है।
- पर, अहं सवाल यह है कि फीफा शांति पुरस्कार की नोबेल पीस प्राइस से तुलना होगी ही और फीफा सम्मान बहुत फीफा नज़र आयेगा, नोबल पीस प्राइस के समक्ष।
- नोबल पीस प्राइस 1895 से दिया जा रहा है और वह राजनीति से अपने आप को अछूता रखता है। दूसरी ओर फीफा विवादित स्पॉन्सरशिप व कॉमर्शियल राईट्स से सदा से प्रसित रहा है।

पहल है, जो अपनी अंतरात्मा की

आवाज से ज्यादा अरबों डॉलर की

स्पॉन्सरशिप और भ्रष्टाचार घोटालों के

CM / K

⊕

⊕

⊕

CM / K